कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID –cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com ☎ Phone No.– 0788-2962380

क्र॰/ 171 /लो॰क॰वि॰/न॰पा॰नि॰/2021 भिलाई–चरौदा, दिनाँक– 13 / 10 /2021

–::: निविदा आमंत्रण(वार्षिक निविदा) :::–

वार्ड क्र॰–17 स्थित पालिका बाजार में नियमित साफ–सफाई रखरखाव एवं आवश्यक संधारण तथा सुरक्षा कार्य

एतद् द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक –17 में पालिक बाजार निर्मित है । जिसके नियमित साफ–सफाई, रखरखाव एवं आवश्यक संधारण तथा सुरक्षा कार्य हेतु वार्षिक निविदा आमंत्रित की जाती है । उक्त कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति संस्था /ठेकेदार अपनी दरे सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोष्ट के द्वारा दिनांक **14.10.2021 से दिनांक 06.11.2021** तक शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं –

कार्य का नाम	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
वार्ड क्र॰–17 स्थित पालिका बाजार में नियमित साफ–सफाई रखरखाव एवं आवश्यक संधारण तथा सुरक्षा कार्य	

निविदा शर्ते एवं कार्य विवरण :–

1- आयकर व GST पंजीकृत इच्छुक व्यक्ति संस्था / ठेकेदार निकाय के WebSite:- www.nagarnigambhilaicharoda.com से Download कर सकते है। निविदा के साथ राशि ₹ 750.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा एवं अमानत राशि ₹ 9000.00 की D.D./F.D.R आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा।

2- निविदा तीन लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा ''अ'' में अमानत राशि का D.D./F.D.R एवं डिमाड ड्राफ्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय आफर का द्वितीय लिफाफा ''ब'' नहीं खोला जावेगा एवं प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।

3- उक्त कार्य की अवधि कार्योदेश से 12 माह तक के लिए होगी । आवश्यकता पड़ने पर उक्त अवधि में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की अनुमति एवं परस्पर सहमति उपरांत वृद्धि की जा सकेगी ।

4- विषयांतर्गत पालिका बाजार में भूतल पर 76 दुकाने, प्रथम तल पर 76 दुकाने एवं द्वितीय तल पर 08 हाल निर्मित है । पालिका बाजार परिसर बाउण्ड्रीवाल युक्त है । परिसर में पेड़ –पौधे एवं पेवर ब्लांक स्थापित किये गये है । पालिका बाजार में भूतल में कुल 04 प्रसाधन कक्ष व प्रथम तल में 04 एवं द्वितीय तल में 04 प्रसाधन कक्ष निर्मित है । निविदा दरें प्रस्तुत करने के पूर्व इच्छुक दर दाता पालिका बाजार का निरीक्षण कर के ही दरे प्रस्तुत करें ।

5- वर्तमान में पालिका बाजार में मात्र भूतल की दुकाने हितग्राहियों का आबंटित की गई है । अतः वर्तमान में मात्र भूतल क्षेत्र का कार्य संपादित किया जाना होगा । आवश्यकता पड़ने

पर प्रभारी अभियंता के निर्देश पर प्रथम तल एवं द्वितीय तल की साफ–सफाई एवं आवश्यक संधारण किया जाना होगा जिसके लिए दिन अनुसार समानुपातिक रूप से अतिरिक्त भुगतान किया जा सकेगा ।

6- उक्त कार्य के अंतर्गत पालिका बाजार में निर्मित दुकानों के अन्दर को छोड़ समस्त स्थलों /परिसर की साफ–सफाई, पोंछा, आवश्यक संधारण तथा रखरखाव कार्य सम्मिलित है।

7- साफ–सफाई कार्य निम्नानुसार नियमित रूप से तीन बार किया जाना आवश्यक होगा ।
प्रथम बार – सुबह 09.00 बजे पूर्व तक
द्वितीय बार– दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक
तृतीय बार – शाम 6.00 बजे से 8.00 बजे तक

8- पालिका परिसर की सुरक्षा हेतु तीनों पाली में चौकीदार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से निविदादाता द्वारा की जानी होगी ।

9- नियमित रूप से साफ–सफाई रखरखाव एवं संधारण तथासुरक्षा कार्य हेतु आवश्यक कर्मचारी /श्रमिक की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जावेंगी । आवश्यक संधारण कार्य जैसे–नल टोंटी, पाईपलाईन आदि संधारण साफ–सफाई हेतु आवश्यक झाड़ू, पोछा, फिनाईल आदि समस्त सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था तथा परिसर में घास कटाई, उपलब्ध पेड़–पौधे के रखरखाव आदि समस्त कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जावेंगी ।

10- पालिका बाजार परिसर में निर्मित दुकानों के अंदर एवं दुकानदार द्वारा की गई व्यवस्था को छोड़कर समस्त स्थापित विद्युत व्यवस्था का संधारण /मरम्मत एवं आवश्यकता होने पर बल्ब, लाईट आदि बदलने का कार्य निविदा दाता को करना होगा ।

11- उक्त कार्य मे संलग्न किये जाने वाले कर्मचारी /श्रमिकों को परिचय पत्र व वर्दी निविदा दाता द्वारा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा ।

12- पालिका बाजार में शिकायत पंजी उपलब्ध कराया जाना होगा तथा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी ।

13- पालिका बाजार में नियमित साफ–सफाई रखरखाव एवं आवश्यक संधारण कार्य नगर निगम भिलाई–चरौदा के कार्यपालन अभियंता के निर्देश/संतुष्टि अनुसार पूर्ण किया जाना होगा ।

14- संधारण संबंधी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश के परिपालन में विलंब होने पर प्रति दिवस रू॰ 200.00 से 5,000.00 रू॰ तक की दर से प्रति दिन कटौती की जा सकेगी।

15- प्रदत्त दर में नियमानुसार आयकर श्रम कल्याण उपकर एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि कटौती की जावेंगी । अनुबंध अवधि समाप्त होने उपरांत सुरक्षा निधि वापस की जावेंगी ।

16- समय–समय पर शासन के दिशा–निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

17- विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का होगा जो कि अंतिम सर्वमान्य होगा ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा

–::: निविदा दर पत्रक :::–

कार्य का नाम :– वार्ड क्र.–17 स्थित पालिका बाजार में नियमित साफ–सफाई रखरखाव एवं आवश्यक संधारण तथा सुरक्षा कार्य

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा दर प्रतिमाह	
		अंको में	शब्दों में
1	भूतल एवं संपूर्ण परिसर (भूतल)		

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा